न्यायालय, आषुतोष कुमार राय, अपर सत्र न्यायाधीष,अष्टम्,समस्तीपुर।

ए0बी0पी0–660 / 2024

(पटोरी थाना काण्ड सं0–305 / 2023, धारा–147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 354, 379, 504, 506 भा0द0वि0 से उत्पन्न)

आदेष की तिथिः 24.07.2024

उपस्थितः आवेदक की ओर से– श्रीमती किरण सिंह, विद्वान अधिवक्ता

अभियोजन की ओर से–श्री पंकज कुमार देव, विद्वान अपर लोक अभियोजक

आवेदकगण क्रमषः **1.रामप्रसाद राय 2. रामप्रवेष राय एवं 3. रामएकबाल राय उर्फ कारी राय, तीनों पिता–अर्जुन राय,** जो टोरी थाना काण्ड सं0–305 / 2023, धारा–147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 354, 379, 504, 506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियुक्त है, की ओर से धारा–438 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया कि आवेदक निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध कारित नही किया है। उनके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उभय पक्ष के बीच जमीन का विवाद एवं पलटा मुकदमा है और आवेदकगण की ओर से किये गये मुकदमा से बचने के लिए सूचक द्वारा यह झुठा मुकदमा किया गया है। आरोपित धाराएँ उनके विरूद्व नहीं बनती है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिये जाने की आषंका है। अतः प्रार्थना करते हैं कि आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी सूचक रामदर्षन राय के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्तगण एवं अन्य के विरूद्व संस्थित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्व अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर समान आषय से जमीनी विवाद को लेकर सूचक के दरवाजा पर आकर गाली–गलौज करते हुए जान मारने की धमकी देने, सूचक द्वारा विरोध करने पर फरसा की लाठी

एवं फरसा से सूचक, उसकी पत्नी एवं पुत्र को मारपीट कर जख्मी करने एवं घर में घुस कर ढ़ाई लाख रूपया एवं सोने का जेवर ले लेने का आरोप है।

अभिलेख पर दाखिल केसडायरी की कंडिका–2 में वादी का पुन :बयान है जिसमें उसने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कंडिका–6, 13, 14, 15 में साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका–61 एवं 70 में जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन है जिसमें चिकित्सक ने जख्मियों का जख्म साधारण प्रकृति का पाया है। वाद अनुसंधान की अवस्था में है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी का नामित अभियुक्त है जिसके विरूद्व विषिष्ट रूप से घटना कारित करने का आरोप है जिसमें सूचक सहित तीन व्यक्तियों को जख्म कारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में अभियोग की प्रकृति एवं गम्भीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। अतः आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्या0,अष्टम्

ज्ञापांक.....दिनांक.....
कार्यालयः अपर सत्र न्यायाधीष,अष्टम्,समस्तीपुर।
प्रतिलिपिः श्री एस0एन0 साह, न्या0 दण्डा0, प्रथम श्रेणी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सत्र न्या0,अष्टम्